

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 02 अगस्त, 2025 / 11 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th July, 2025

No. Health-C-A(4)1/2025.—In exercise of the powers conferred in 17 of Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 and in supersession of 95-रাजपत्र / 2025-02-08-2025 (4397)

Notification No. Health-A-A(4)-2/2018, dated 22-04-2018, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the State Appropriate Authority as under:—

Official Members:-

1.	Director, Health Safety and Regulation,	Chairman
	H.P.	
2.	Director, Health Services, H.P.	Member
3.	Mission, Director, National Health	Member
	Mission, H.P.	
4.	Joint Director, Health Services, H.P.	Member
5.	Joint Director/Deputy Director,	Member
	Prosecution, H.P.	
6.	OSD (State Programme Office) PC &	Member-Secretary
	PNDT, H.P.	,

Non-Official Member:—

1.	Ms. Tanu Chauhan, r/o Parvati Bhavan, Below Auckland Hotel,	
Lakkar Bazzar, Shimla, H.P. Mob. No. 98166 03411		

By order,

Secretary (Health).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated the, 25th July, 2025

No. HHC/Estt.3(1048)/2020.—07 days commuted leave on and with effect from 08-07-2025 to 14-07-2025, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Sh. Gangesh Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Sh. Gangesh Soodh as joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Gangesh Sood would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2025

No. HHC/GAZ/14-322/2011-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 day's earned leave *w.e.f.* 26-07-2025 to 02-08-2025 with permission to *suffix* Sunday falling on 03-08-2025 in favour of Ms. Manisha Goyal, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Mandi, H.P.

Certified that Ms. Manisha Goyal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Manisha Goyal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2025

No. HHC/GAZ/14-420/2022.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 54 days' earned leave *w.e.f.* 05-08-2025 to 27-09-2025 with permission to *suffix* Dussehra holidays and Sunday falling *w.e.f.* 28-09-2025 to 05-10-2025 infavour of Smt. Sonia Gupta, Civil Judge-*cum-J*MFC, Bilaspur, H.P.

Certified that Smt. Sonia Guptais likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Sonia Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC, Bilaspur, but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th July, 2025

No. **HHC/GAZ/14-372/2016.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 02 days' commuted leave for 25-06-2025 to 26-06-2025 in favour of Smt. Rosy Dahiya, Civil Judge-*cum*-JMFC, Jhandutta, H.P.

Certified that Smt. Rosy Dahiya had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Rosy Dahiya would have continued to hold the post of the Civil Judge-*cum*-JMFC, Jhandutta, but for her proceeding on leave for the above period.

Ву	order,

Sd/-*Registrar General.*

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 2nd May, 2025

No. MPP-F(10)-13/2024.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the employees of Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEBL) who are on deputation with HPPCL, HPPTCL, DoE, HIMURJA and other line departments on secondment basis will be able to exercise the option to get their services be taken over by the said organization respectively. Their service absorbed/merged in the borrowing departments subject to the following conditions:—

- (i) The terms and conditions of appointment in the HPSEBL will remain unchanged.
- (ii) Promotion avenues will be provided to the staff of HPSEBL and if need be, superannuary posts shall be created as a personal measure, so that their career growth is not adversely affected.
- (iii) Their absorption/merger will also not affect the career prospects of the employees recruited by the HPPCL/HPPTCL/DOE/HIMURJA in their respective cadres. They will also get promotion as per the career progressive scheme in the respective organization.

Further, the Governor, Himachal Pradesh is also pleased to order that the employees who are presently working in HPSEBL and are willing to serve in other Departments/Organizations can give their option to get absorbed in the new/preferred department/organization on the above mentioned terms and conditions. It is also clarified that their transfer from HPSEBL to HPPCL/HPPTCL/DOE/HIMURJA or any othe line Department shall not be considered as foreign service or deputation and it shall be treated as transfer till final absoration in the respective organization.

By order, Sd/-(RAKESH KANWAR, IAS), Secretary (Power).

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 जुलाई, 2025

संख्याः टी.पी.टी.-ए(3)-3/2015—II-पार्ट-ए.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना समीचीन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर से सेब और आलू के वहन के प्रयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3क के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष पथकर के संदाय से छूट दी जाए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 14(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्य के ट्रकों (जो नेशनल परिमट के अन्तर्गत नहीं आते हैं) को दिनांक 01–08–2025 से 31–10–2025 तक हिमाचल प्रदेश राज्य के बाहर सेब और आलू के वहन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा उक के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष पथकर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — (आर० डी० नजीम, भा०प्र०से०), प्रधान सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English Text of this department Notification No. TPT- A(3)-3/2015-II-Part-A, dated 28-07-2025 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th July, 2025

No. TPT-A(3)-3/2015-II-Part-A.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that it is expedient in the public interest to exempt the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of the State of Himachal Pradesh from the payment of Special Road Tax leviable under section 3-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 14(3) of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to exempt the trucks of the other States (not covered under National Permit) entering into the territory of Himachal Pradesh from payment of Special Road Tax leviable under section 3-A of the said Act, for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of the State of Himachal Pradesh with effect from 01-08-2025 to 31-10-2025.

By order, Sd/-(R.D. Nazeem, IAS), Principal Secretary (Transport).

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of:

- 1. Ms. Meenakshi Kumari age 30 years d/o Sh. Dilbagh Singh, r/o Village Samoh, P.O. Bani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
- 2. Mr. Devanshu Partap Singh age 22 years d/o Sh. Surender Singh, r/o Village & P.O. Lama, Tehsil & District Banda, U.P. ... *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Marriage.

Ms. Meenakshi Kumari & Mr. Devanshu Partap Singh have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that the solemnized their marriage on dated 05-04-2025 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir Tikker Rajputtan, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding their intention, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 22-08-2025. In case no objection is received by 22-08-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 22-07-2025.

Seal.

Sd/-Marriage Officer-cum-SDM, Sub-Division Barsar (H.P.).

In the Court of Shri Rajender Kumar Gautam, Sub-Divisional Magistrate, Barsar, District Hamirpur (H.P.) Exercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954

In the matter of:

- 1. Mr. Geetansh Thakur age 29 years s/o Sh. Surender Thakur, r/o Village & P.O. Gahli, Tehsil Galore, District Hamirpur (H.P.).
- 2. Ms. Malawanti age 29 years s/o Sh. Dharam Pal, r/o Village & P.O. Punnerdhar, Tehsil Noharadhar, District Sirmaur, H.P. ... *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Mr. Geetansh Thakur & Ms. Malawanti have filed an application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that the solemnized their marriage on dated 05-04-2025 as per Hindu rites and customs at Kalka Mata Mandir Tikker Rajputtan, Tehsil Barsar, Distt. Hamirpur, H.P.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding their intention, may file his/her objections personally or in writing before this court on or before 22-08-2025. In case no objection is received by 22-08-2025, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court on 22-07-2025.

Seal.

Sd/-Marriage Officer-cum-SDM, Sub-Division Barsar (H.P.).

तारीख पेशी : 23-08-2025

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

सविता कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द हाल पत्नी पर्वीज पठानिया, निवासी वार्ड नं० 10, गांव आईमा, डाकघर व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.--नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थिया सविता कुमारी पत्नी पर्वीज पठानिया, निवासी वार्ड नं० 10, गांव आईमा, डाकघर व तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थिया का सही नाम सविता कुमारी पत्नी पर्वीज पठानिया है, जबिक महाल चेली के राजस्व अभिलेख में सहवन स्वीटी देवी पुत्री प्रकाश चन्द दर्ज कागजात माल है जोिक गलत है। अतः महाल चेली के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के नाम की दुरुस्ती की जाकर स्वीटी देवी उपनाम सविता कुमारी पुत्री प्रकाश चन्द सही नाम दर्ज कागजात माल किया जावे।

अतः इस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23–08–2025 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 23-08-2025

उर्मिल पुत्री गंगा राम, निवासी गांव घडोरल, डाकघर मैंझा हाल पत्नी परस राम, निवासी गांव सालन, डाकघर रैपुर, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थिया उर्मिल पुत्री गंगा राम, निवासी गांव घडोरल, डाकघर मैंझा हाल पत्नी परस राम, निवासी गांव सालन, डाकघर रैपुर, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 15—03—1964 को गांव घडोरल, डाकघर मैंझा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मैंझा के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया उर्मिल पुत्री गंगा राम के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत मैंझा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23—08—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया उर्मिल पुत्री गंगा राम जन्म दिनांक 15—03—1964 के आदेश ग्राम पंचायत मैंझा के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी.

सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किरम मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 13-08-2025

परमजीत ठाकुर पुत्र गोधम राम, निवासी गांव व डाकघर फरेड, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हिоप्रо)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म / मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी परमजीत ठाकुर पुत्र गोधम राम, निवासी गांव व डाकघर फरेड, उप—तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया है कि मेरी माता ब्रहमी देवी विधवा गोधम राम की मृत्यु दिनांक 05—06—2017 को गांव व डाकघर फरेड में हुई है परन्तु ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में मृत्यु पंजीकरण न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की माता की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 26—08—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थी की माता ब्रहमी देवी विधवा गोधम राम की मृत्यु दिनांक 05—06—2017 के आदेश ग्राम पंचायत फरेड के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

व मुकद्दमाः

दोस्त मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद, वासी गांव नंगल, डाकघर बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

प्रार्थी दोस्त मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद, वासी गांव नंगल, डाकघर बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अपनी जन्म तिथि जोिक 17—11—1962 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोिक जेरे समायत है। प्रार्थी दोस्त मोहम्मद की माता का नाम अजमते वीवी है। यदि प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपित्त या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर/एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपित्त/एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu (H.P.)

- 1. Abhinav Awasthi s/o Sh. Shashi Bhushan Awasthi, r/o Village and P.O. Patli Kuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.
- 2. Himanshu Sharma d/o Sh. Om Prakash Sharma, r/o Near Bridge Shilihar, Bhuntar, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1969.

Abhinav Awasthi s/o Sh. Shashi Bhushan Awasthi, r/o Village and P.O. Patli Kuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Ms. Himanshu Sharma d/o Sh. Om Prakash Sharma, r/o Near Bridge Shilihar, Bhuntar, District Kullu, H.P. have submitted an application alongwith affidavits before the undersigned declaring that they solemnized their marriage on 17-05-2022.

However, the said marriage is not found recorded in the official registers of the Marriage Registrar, concerned Municipal Council/Gram Panchayat in Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Accordingly, objections are hereby invited from the general public through this notice. If any person has any objection to the registration of the above-mentioned marriage, they may submit the same personally or in woriting before the court of the undersigned within 30 days from the publish of this notice.

Issued under my hand and seal of the court on 18th July, 2025.

Seal. Sd/-

(RAMAN KUMAR SHARMA), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती रीता पत्नी स्व0 मनोज, निवासी ग्राम मनेवटी, डाकघर थगाड़, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि के पंजीकरण बारे। प्रार्थिया श्रीमती रीता पत्नी स्व0 मनोज, निवासी ग्राम मनेवटी, डाकघर थगाड़, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रिजस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थिया अब अपनी पुत्रियों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रिजस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	परतिका	पुत्री	22-06-2018
2.	अक्षरा	पुत्री	19-07-2020

अतः आम जनता को बजिरया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपित हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपित प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन—पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत किरण को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – (अर्जुन सिंह परमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 24 / 25

तारीख मरजुआ : 11-01-2025

तारीख पेशी : 12—06—2025

सुनीता देवी पुत्री बंसी लाल, निवासी ग्राम नाओं, डाकघर रूसलाह, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

विषय.—–प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु स्वयं न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ नकल परिवार रिजस्टर के ग्राम पंचायत झिकनीपुल, आधार कार्ड व नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त रूसलाह संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम ग्राम पंचायत झिकनीपुल व आधार कार्ड में सुनीता देवी दर्ज है जोकि सही है। परन्तु पटवार वृत्त रूसलाह के जमाबन्दी रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम सुमित्रा दर्ज है जोकि गलत है। इसलिए प्रार्थिया ने अपने नाम की दुरुस्ती नकल जमाबन्दी मोहाल खराचली, पटवार वृत्त रूसलाह के रिकार्ड में सुनीत्रा की बजाए सुनीता देवी उर्फ सुमित्रा दर्ज करने बारा निवेदन किया है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी तथा प्रकाशन राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया का नाम पटवार वृत्त रूसलाह के जमाबन्दी रिकार्ड में सुनीता देवी उर्फ सुमित्रा दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 11–07–2025 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं किसी से कोई उजर व एतराज न आने की सूरत में प्रार्थिया के सही नाम दर्ज करने बारा आदेश प्रदान कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अर्जुन सिंह परमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07 / 25

तारीख मरज्आ : 23-01-2025

तारीख पेशी : 12-06-2025

श्री नीटू चौहान पुत्र श्री रणू राम पुत्र झंथू, निवासी गोरार, डाकघर थरोच, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्याथी ।

विषय.--प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारे।

यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती हेतु स्वयं न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र के साथ शपथ—पत्र नकल परिवार रिजस्टर के ग्राम पंचायत कुताह, आधार कार्ड व नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त मधाना के मोहाल लालों संलग्न करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत कुताह व आधार कार्ड में नीटू चौहान दर्ज है जोिक सही है। परन्तु पटवार वृत्त मधाना, मोहाल लालों के जमाबन्दी रिकार्ड में प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र सिंह दर्ज है जोिक गलत है। इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती नकल जमाबन्दी पटवार वृत्त मधाना, मोहाल लालों के रिकार्ड में धर्मेन्द्र सिंह की बजाए नीटू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र सिंह दर्ज करने बारा निवेदन किया है।

अतः आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी तथा प्रकाशन राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी का नाम पटवार वृत्त मधाना, मोहाल लालों के जमाबन्दी रिकार्ड में नीटू चौहान उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र रणू राम दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 11–07–2025 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं किसी से कोई उजर व एतराज न आने की सूरत में प्रार्थिया के सही नाम दर्ज करने बारा आदेश प्रदान कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 12-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री मुर्तजा पुत्र श्री बाज दीन, निवास ग्राम तरशानू, डाकघर नेरुवा, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी ।

विषय.——प्रार्थी का जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी श्री मुर्तजा पुत्र श्री बाज दीन, निवास ग्राम तरशानू, डाकघर नेरुवा, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रूसलाह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	अफसाना	पुत्री	21-06-2017

अतः आम जनता को बजिरया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपित हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपित्त प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन—पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत रूसलाह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – (कुश कुमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री कुश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री मस्त राम चौहान पुत्र श्री राय मल, निवास ग्राम थंगाड़, डाकघर थंगाड, तहसील नेरुवा, जिला शिमला (हि0 प्र0) बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थी ।

विषय.——प्रार्थी का जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रिजस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे। प्रार्थी श्री मस्त राम चौहान पुत्र श्री राय मल, निवास ग्राम थंगाड़, डाकघर थंगाड, तहसील नेरुवा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है तथा प्रार्थी अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में निम्न प्रकार से दर्ज करवाना चाहता है।

क्रम संख्या	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1.	प्रज्वल चौहान	पुत्र	16-01-2005

अतः आम जनता को बजिरया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपित हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपित्त प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन—पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके ग्राम पंचायत किरण को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – (कुश कुमार), कार्यकारी दण्डाधिकारी, नेरुवा, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0प्र0)

श्रीमती उमा देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी काशो, डाकघर व पंचायत क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि०प्र० वादिया।

बनाम

आम जनता

ं प्रतिवादी ।

आम जनता एवं ग्राम पंचायत क्यार, तहसील ठियोग विकास खण्ड ठियोग।

विषय.——जन्म / मृत्यु तिथि प्रविष्ट बारा।

इस अदालत में अतिरिक्त जिला रजिस्टार जन्म एवं मृत्यु शिमला, जिला शिमला के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3712, दिनांक 20–06–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी पत्र संख्या एच.एफ.एल. / जन्म एवं मृत्यु / एस.टी. / 2025–1–3712, दिनांक 20–06–2025, (2) शपथ–पत्र आवेदक, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) आधार कार्ड व शपथ श्री ओनकार चन्द पुत्र वसत, निवासी टुटु, तहसील शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश व भास्करा नन्द पुत्र नाजु राम, निवासी सलाना, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, श्रीमती उमा देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी कसो, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि०प्र० की अपनी जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती उमा देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी काशो, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि०प्र० में अपनी जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो

नियमानुसार आवश्यक है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म/मृत्यु रिपोर्ट जो जन्म/मृत्यु अधिकारी शिमला ने अपने आदेश पत्र जो दिनांक 10—07—2025 को जारी हुआ।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती उमा देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी कसो, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की अपनी जन्म तिथि 05—07—1974 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला शिमला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपित हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपित दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती उमा देवी पत्नी अमर सिंह, निवासी कसो, डाकघर क्यार, तहसील ठियोग, जिला शिमला, हि0प्र0 की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव क्यार को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि०प्र०)

मुकद्दमा : मकफुल-उल-खबरी

मुकदमा नम्बरान : 1/2025

शीर्षक.—श्रीमती बिमला ठाकुर बनाम हेतराम

इश्तहार बनाम :

- 1. श्री हेतराम पुत्र ढेलिया, निवासी गांव व डाकघर कोटी, तहसील जुन्गा, जिला शिमला, हि० प्र०।
- 2. सर्वसाधारण।

विषय.— मकफुल-उल-खबरी इन्तकाल दर्ज करने बारे।

श्रीमती बिमला ठाकुर पत्नी श्री विजय सिंह, निवासी त्रिकुट भवन, आर्दश विहार सपरून, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने वाका मौजा कोटी में एक प्रार्थना—पत्र हेतराम पुत्र ढेलिया, निवासी गांव व डाकघर कोटी, तहसील जुन्गा, जिला शिमला का निवासी है। हेतराम पुत्र ढेलिया निवासी गांव व डाकघर कोटी, तहसील जुन्गा, जिला शिमला वाका मौजा कोटी में मालिक दर्ज कागजात माल है। मुताबिक रिपोर्ट व दस्तावेज के हेतराम पुत्र ढेलिया पिछले लगभग 40—45 वर्षों से लापता है व मकफुल—उल—खबरी इन्तकाल दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती बिमला ठाकुर पत्नी श्री विजय सिंह, निवासी त्रिकुट भवन आदर्श विहार सपरुन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रार्थना—पत्र में किए गए दावे में कोई आपित्त हो तो वह अपनी आपित्त दिनांक पेशी से पूर्व या दिनांक पेशी 26—08—2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है।

इसके अतिरिक्त कोई भी जन मानस उनवान वाला में मुकर्र तारीख पेशी को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा कर सकता है। उक्त तारीख पेशी उपरान्त कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि इस सन्दर्भ न तो हेत राम पुत्र ढेलिया, निवासी गांव व डाकघर कोटी, तहसील जुन्गा, जिला शिमला को ओर न ही किसी अन्य को भी कोई एतराज नहीं है व इन्तकाल वारसानों के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

आज दिनांक 22-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा कार्यालय से जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / — सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील जुन्गा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. 21/2025

Date of Institution 15-07-2025

Date of Decision Pending for 18-08-2025

Versus

General Public . . Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Sukh Ram son of Late Sh. Daulat Ram, r/o V. P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that death of Nanki wife of Sh. Baru Ram on 17-12-1973 at V.P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. but her date of death could not be registered in the records of Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of death of Nanki wife of Sh. Baru Ram may submit their objections in writing in this court on or before 18-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 15th day of July, 2025.

Seal.

(INDER KUMAR),

Sd/-

Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 22/2025 Date of Decision Pending for 18-08-2025

Versus

General Public ... Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Sukh Ram son of Late Sh. Daulat Ram, r/o V. P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that death of Shakuntla daughter of Sh. Baru Ram on 25-02-1976 at V.P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. but her date of death could not be registered in the records of Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general puble is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of death of Shakuntla daughter of Sh. Baru Ram may submit their objections in writing in this court on or before 18-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 15th day of July, 2025.

Seal. Sd/-

(INDER KUMAR),

Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 20/2025 15-07-2025 Pending for 18-08-2025

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Sukh Ram son of Late Sh. Daulat Ram, r/o V. P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that death of Kanta daughter of Sh. Baru Ram and wife of Amar Singh on 27-05-1970 at V.P.O. Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. but her date of death could not be registered in the records of Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Sainwala Mubarikpur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general puble is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of death of Kanta daughter of Sh. Baru Ram and wife of Amar Singh may submit their objections in writing in this court on or before 18-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 15th day of July, 2025.

(INDER KUMAR),

Sd/-

Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. 18/2025

Seal.

Date of Institution 05-07-2025

Date of Decision Pending for 07-08-2025

Versus

General Public

. .Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Shweta Gupta daughter of Sh. Rajender Prakash Gupta, r/o V.P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her birth on 29-08-1984 at V.P.O. Majra, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. but her date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Majra, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Majra, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general puble is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Shweta Gupa daughter of Sh. Rajender Prakash Gupta & Smt. Kamlesh Gupta may submit their objections in writing in this court on or before 07-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of July, 2025.

Seal.

Sd/
(INDER KUMAR),

Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar),

Majra, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Inder Kumar, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No. Date of Institution Date of Decision 19/2025 Decision 05-07-2025 Pending for 07-08-2025

Versus

General Public . . . Respondents.

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Sh. Yusaf son of Sh. Sharif, r/o Ward No. 11, V.P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that his birth on 16-07-1969 at Ward No. 11, V.P.O. Misserwala, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur, H.P. but his date of birth could not be registered in the records of Gram Panchayat Misserwala, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur (H.P.) within stipulated period.

Hence he prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Misserwala, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Yusaf son of Sh. Sharif & Smt. Munti may submit their objections in writing in this court on or before 07-08-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 7th day of July, 2025.

Seal. Sd/(INDER KUMAR),

Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Suman Thakur (New Name) w/o Sh. Ravinder Singh Thakur aged about 49 years, r/o Agro Stone Cottage, Village Dhagogi, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my surname from Suman Kumari Garg (Previous Name) to Suman Thakur (New Name). All concerned please may note.

SUMAN THAKUR w/o Sh. Ravinder Singh Thakur, r/o Agro Stone Cottage, Village Dhagogi, P.O. Baldeyan, Tehsil & District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tovindra Thakur w/o Mr. Deepak Thakur, r/o Village Tharjoon (Majhar), P.O. Kelodhar, Tehsil Chachiot, District Mandi (H.P.) Pin-175029 have changed my name from Tovindra Thakur to Tovindra Kumari.

TOVINDRA THAKUR, w/o Mr. Deepak Thakur, r/o Village Tharjoon (Majhar), P.O. Kelodhar, Tehsil Chachiot, District Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Subhash Chander Aggarwal s/o Late Sh. Amar Nath Aggarwal, r/o Amar Bhawan near Titla Hotel Jakhoo, Shimla (H.P.) declare that in various records my name is entered as follows Subhash Aggarwal, Subhash Agarwal, Subhash Chander, Subash Agarwal. That my name should be corrected as Subhash Chander Aggarwal in all records. All concerned note it.

SUBHASH CHANDER AGGARWAL s/o Late Sh. Amar Nath Aggarwal, r/o Amar Bhawan near Titla Hotel Jakhoo, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ankush aged about 27 years s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Jaru, P.O. Bakhol, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that in birth certificate of my son his name is entered as Nakul DOB 04-10-2024 issued from KNH Shimla. That I want to enter the name of my son as Naksh in Hospital records in KNH as well as in all other legal documents in place of Nakul.

ANKUSH, s/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Jaru, P.O. Bakhol, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Balbeet Singh s/o Late Sh. Desh Raj, r/o Village Kandrehar, P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) have changed my dughter's name from Pari to Paritika Koundal.

BALBEET SINGH, s/o Late Sh. Desh Raj, r/o Village Kandrehar, P.O. Chetru, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shivani Verma d/o Sh. Pawan Verma, r/o Village Thanoga, P.O. Churwadhar, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.)-173101 declare that I have changed my name from Shivani Verma to Seema Kumari. Please note all concerned for further.

SHIVANI VERMA d/o Sh. Pawan Verma, r/o Village Thanoga, P.O. Churwadhar, Tehsil Rajgarh, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kavita Devi w/o Sh. Dheeraj, r/o Village Shamror, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Piush to Piyush. Please note all concerned for further.

KAVITA DEVI w/o Sh. Dheeraj, r/o Village Shamror, P.O. Oachghat, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Javed Akhtar s/o Azimmuddin Ansari, r/o Kanwar Niwas, Ward No. 8, Jaunaji Road, Solan (H.P.) declare that in the school record of my daughter her name is wrongly spelt as Naaz Akhtar instead of Naaz Akhtar as well as father's name is also wrongly spelt as Javed Akhtar instead of Javed Akhtar. So as mother's name is also wrongly spelt as Tamanna Parveen instead of Tammana Praveen, which required to be corrected. All concerned please may note.

JAVED AKHTAR s/o Azimmuddin Ansari, r/o Kanwar Niwas, Ward No. 8, Jaunaji Road, Solan (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर / तहसील / रीडर / 2025

तारीख पेशी : 01-09-2025

किरणा पुत्री कलासो, निवासी मुहल्ला / गांव डाडरा, डाकघर भिडयां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जटकरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप—मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या—2660 / 2025, दिनांक 13—05—2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-9793, दिनांक 07—05—2025, शपथ—पत्र, अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण—पत्र जिसमें प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पत्नी कलासो, निवासी मुहल्ला / गांव डाडरा, डाकघर भिडयां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 28—10—2014 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जटकरी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पत्नी कलासो, निवासी मुहल्ला/गांव डाडरा, डाकघर भिडयां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 28—10—2014 को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपित हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपित इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर—भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अविध में आपित न आने की सूरत में प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि 28—10—2014 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / — कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र०)।